न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2019/00121
मुकदमा नम्बर 115/2019

दायर दिनांक : 12–07–2019

1. रामावतार उर्फ शिवलाल पुत्र लच्छू जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. भंवरलाल उर्फ भैरू सिंह पुत्र लच्छू जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. पप्पूराम पुत्र लच्छू जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. गीता पुत्री शंकरलाल जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
2. छोटू पुत्र मनकोरी जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
3. झीमकोरी पत्नी शंकरलाल जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
4. महेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
5. सुरजा पुत्र लिछमण जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
6. विनोद पुत्र लच्छू जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
7. सुरेश पुत्र लच्छू जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
8. भूमिधारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रति. :– एकपक्षीय

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्तीकरण

:: निर्णय ::

दिनांक– 17–02–2021

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम परसरामपुरा में स्थित खाता संख्या नया 63 पुराना 54 में स्थित खसरा नम्बर 1907, 2123 रकबा क्रमशः 0.4000, 2.8400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.24 हैक्टर स्थित है। उक्त खाते मे वादीगण नम्बर 1 का वास्तविक नाम शिवलाल दर्ज होना चाहिए था जबकि राजस्व रिकर्ड में रानावतार दर्ज है जो कि गलत दर्ज है तथा वादीगण नम्बर 2 का वास्तविक नाम भैरूसिंह दर्ज होना चाहिए था, जबकि राजसव रिकार्ड में भंवरलाल दर्ज है। जो कि गलत है इसलिये उक्त वाद घोषर्ण्था व नाम दुरूस्तीकरण का पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण के नाम उनके सम्पूर्ण दस्तावेज पहचान–पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में शिवलाल व भैरू सिंह के नाम से बने हुये है तथा इन्ही सही नामों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम रामावतार व भंवरलाल गलत नाम दर्ज कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने के कारण वादीगण ना तो अपनी भूमि पर लोन ले सकते है न ही अन्य किसी प्रकार के सरकार लाभ ले सकते है। इसलिए यह वाद नाम सही करने की घोषणा व राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरूस्ती करने लिए पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त सही नाम शिवलाल व भैरू सिंह दर्ज होना चाहिए था जबकि राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड में ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित खाता संख्या नया 63 पुरान 54 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.4000 हैक्टर खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.8400 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.2400 हैक्टर स्थित है कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का सही का नाम वादी नम्बर 1 का शिवलाल व वादी नम्बर 2 का भैरू सिंह सही नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण सरकारी सहायता व अन्य किसी प्रकार के लाभ प्राप्त नही कर सकते है। इसलिए यह दावा राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवाने तथा वादीगण के सही नाम शिवलाल व भैरू सिंह के नाम की घोषणा करवाने के लिए घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती का वादी पेश किया गया है। उक्त वाद के लिए वादाधिकार दिनांक 03.07.2019 को जब वादीगण ग्राम परसरामपुरा की उपरोक्त खाता की भूमि की जमाबंदी की नकल प्राप्त करने के लिए गये तो पटवारी ने राजस्व रिकार्ड देख कर बताया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है। तब से लेकर आज तक वादकारण लगातार जारी है इसलिए उक्त वाद घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

ग्राम परसरामपुरा पटवारी हल्का परसरामपुरा में वादीगण की भूमि स्थित है, इसलिए उक्त वादी सुनने का अधिकार श्रीमान के क्षैत्राधिकार में निहित है।

वादिया द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद वादी बहक प्रातिवादीगण इस आशय की डिक्री से आदेशित किया जावे कि वादीगण की कृषि भूमि ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित खाता संख्या नया 63 खाता संख्या पुनारा 54 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.8400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2400 हैक्टर स्थित है, के राजस्व रिकार्ड मे वदी नम्बर 01 का नाम रामावतार के स्थान पर शिवलाल व वादी नम्बर 2 भंवरलाल के स्थान पर भैरू सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में शिवलाल व भैरूसिंह के नाम की घोषणार्थ किी जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जोन से रह गई हो जां वादी के हक में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 8 की तलबी सम्यक रूप से होने के पश्चात इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी में वादी पप्पूराम पुत्र लच्छू जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा एवं गवाह मूलचन्द पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुमावत निवासी परसरामुपरा उपस्थित होकर मुख्य परीक्षकण के शपथ पत्र पेश किये गये। गवाह मूलचन्द ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया गया है कि वादी शिवलाल का वास्तविक नाम है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामावतार दर्ज हो गया तथा वादी भैरूसिंह का नाम भवरलाल दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है।

उक्त संबंध में तहसीलदार नवलगढ से वादीयों के नाम दुरुस्त के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम परसरामपुरा के आम चौकर में शिवलाल पुत्र लच्छूराम व भैरूसिंह पुत्र लच्छूराम की नाम दुरुस्ती की जांच कर तो पूछताछ में एवं दस्तावेजात यथ आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड में उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के सही नाम शिवलाल पुत्र लच्छूराम व भैरूसिंह पुत्र लच्छूराम ही है। जबकि ज़मावंदी सम्वत् 2075–78 मे खाता संख्या 63 में भवंरलाल पुत्र लच्छू हिस्सा 2483/16200 जाति कुम्हार साकिन हदेह खातेदार व रामावतार पुत्र लच्छू हिस्सा 2483/16200 जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज है। जो कि गलत दर्ज है। जबकि सही नाम पुछताछ व उपरोक्त वर्णित दस्तावेजो के अनुसार शिवलाल पुत्र लच्छूराम व भैरूसिंह पुत्र लच्छूराम दर्ज किया जाना उचित है। एवं पुछताछ में पाया कि भंवरलाल व भैरूसिंह एक ही व्यक्ति है ताा रामावतार व शिवलाल एक ही व्यक्ति के नाम है।

जवाब देही पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का बगौर समाहत कि गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

ग्राम परसरामपुरा का राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2075–2078 पेश किया जिसमें खसरा नम्बर 1907, 2123 रकबा क्रमशः 0.4000, 2.84 हैक्टर में वादी का नाम भवरलाल एवं रामावतार दर्ज है जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा जारी मूल–निवास व नाम पहचान प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि पेश किये जिसमें वादि रामावतार का नाम शिवलाल एवं भंवरलाल का नाम भैरूसिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित किया गया है कि वादी रामावतार पुत्र लच्छूराम का वास्तविक नाम शिवलाल पुत्र लच्छूराम है तथा ग्राम मे भी वादि को शिवलाल के नाम से जाना जाता है। तथा वादी श्री भंवरलाल पुत्र लच्छूराम का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका वास्तविक नाम भैरूसिंह पुत्र लच्छूराम है, गांव में भी इसी नाम से जाना जाता है। उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत परसरामपुरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का नाम वास्तविक नाम शिवलाल व भैरूसिंह है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम की दुरूस्ती किया जाना उचित है। यह साबित होता है कि वादीगण का नाम गलत दर्ज हो गया है तथा वास्तविक नाम शिवलाल एंव भैरूसिंह है जो दो नाम के एक–एक ही व्यक्ति है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम परसरामपुरा ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित खाता संख्या नया 63 खाता संख्या पुराना 54 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.8400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2400 हैक्टर स्थित है, के राजस्व रिकार्ड मे वादी नम्बर 01 का नाम रामावतार के स्थान पर शिवलाल व वादी नम्बर 2 भंवरलाल के स्थान पर भैरू सिंह दुरूस्त जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री अनूप सिंह (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

दावा बाबत विभाजन

मुकदमा सं0:– 115/2019 (रामावतार आदि बनाम गीता आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **अनूप सिंह** (आर०ए०एस०),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.02.2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम परसरामपुरा ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित खाता संख्या नया 63 खाता संख्या पुनारा 54 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 2123 रकबा 2.8400 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2400 हैक्टर स्थित है, के राजस्व रिकार्ड मे वादी नम्बर 01 का नाम रामावतार के स्थान पर शिवलाल व वादी नम्बर 2 भंवरलाल के स्थान पर भैरू सिंह दुरूस्त जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

जन..........–.............. मुबलिग..........–..........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..........फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–............का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 17 माह 02 सन 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner